



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गौरीपुर Rev P.S- गौरीपुर State of- झारखण्ड Police Station- गौरीपुर R.T.No 94
Khatia Type रैती

खता नम्बर	रैत का नाम, पित्त का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	वर्ग	ए	इ	है	लगात	कैफियत / अन्युक्ति	आगत वर्तमान/ प्लॉट संख्या
64	चरण मंडल वो शिवेन्द्र नाथ मंडल वो परितोष मंडल, प्रभाश चन्द्र मंडल वो विभास चन्द्र मंडल, पित्त-कैरीपदी मंडल, जाति. एवं अमुन्स रतन मंडल, पित्त-गंगाधर मंडल, जाति. एवं नरेन्द्र नाथ मंडल, पित्त-पवानन्द मंडल, जाति. एवं भावु मंडलानी, पति-शिवु मंडल, जाति. एवं विकल मंडल वो अजित मंडल, पित्त-जुगल मंडल, जाति. एवं ग्याराम मंडल, पित्त-चिनी बास मंडल, जाति-सूडी	2153	0 रे	8 डि	0 रे		67.85		1 / 64
		2154	0 रे	3 डि	0 रे				
		2180	0 रे	29 डि	0 रे				
		2256	1 रे	1 डि	0 रे				
		2274	0 रे	34 डि	0 रे				
		2284	0 रे	39 डि	0 रे				
		2292	0 रे	31 डि	0 रे				
		2296	1 रे	12 डि	0 रे				
		2304	0 रे	61 डि	0 रे				
		2307	0 रे	66 डि	0 रे				
		2308	0 रे	21 डि	0 रे				
		2309	0 रे	5 डि	0 रे				
		2310	0 रे	37 डि	0 रे				

37/25/ रैती

64	श्री रजनी कुमार राजन, पित्त-श्री श्याम मोहन सिन्हा, जाति.	2661	0 कठ	0 कठ	0 है	4		श. गौरीपुर दा. खा. केसन. 1027 (3) 2011-12 के द्वारा पु.ज. 20 एवं 153 वर्दावर दर्ज किया गया है	1 / 385
64	वीणा श्रीवास्तव, पित्त-बनेश्वर प्रसाद, जाति.	2651	0 रे	2.4 डि	0 है	0		दाखिल कारिन नुमस0-44(III)1994-95	1 / 451
64	श्रीमती आशमा देवी, पति-अरविंद कुमार, जाति.	2292	0 रे	6.33 डि	0 है	1		दाखिल कारिन नुमस0-15(N)2007-08	1 / 452
64	राजेश कुमार, पित्त-पन्ना लाल उमर, जाति.	2650	0 रे	5 डि	0 है	2		दा. खा. सं. 665(III)2010-11	1 / 492
64	श्री विशुनंदन प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद, कृष्णा प्रसा, पित्त-स्व. विहारी प्रसाद, जाति. एवं श्रीमती गालती देवी, पति-स्व. जगेश्वर प्रसाद, जाति.	2665	0 रे	5 डि	0 है	5		दा. खा. नु. स226 (III)87-88	1 / 538
64	RAKESH KUMAR RANJAN, पित्त-SHYAM MOHAN SINHA, जाति-लाला	2651	0 रे	1.6 डि	0 है	10		नामान्तरण नुमस0-6116/2019-2020	4 / 78

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

37/25/ रैती

8/5/2020